न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 03/2023 बउनवानी प्रियान्शी जोशी बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कले.खण्डार
आई.ए.टी.एस.स्कूल के पीछे, कालीभाई प्राईमरी सरकारी स्कूल के पास आदित्यपुरम ग्वालियर, म0प्रदेश

GCMS No-2023/03 ON Line Appeal No. 32135226617700

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
1.2.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 17.11.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 1. श्री हनुमान प्रसाद जोशी पुत्र श्री शंकर लाल जोशी निवासी—4 जोशी मोहल्ला, बहरावण्डाखुर्द, खण्डार के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की एक प्रमाणित प्रति। 2. तुषार जोशी पुत्र श्री एच.पी.जोशी निवासी—4 जोशी मोहल्ला, बहरावण्डा खुर्द, खण्डार के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की एक प्रमाणित प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार के जवाब नोटिस क्रमांक /सूकाअ()/23/104 दिनांक 1.2.23 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध मे उपजिला कलेक्टर खण्डार ने जरिये पत्रांक/सूकाअ /23/94 दिनांक 27.1.23 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 17.11.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण (जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक दिनांक) इत्यादि अंकित नही होने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 94 दिनांक 27.1.2023 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। यदि अपीलान्ट चाहे तो वांछित सूचना का पूर्ण विवरण यथा क्रमांक दिनांक इत्यादि अंकित करते हुए उप जिला कलेक्टर कार्यालय मे नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को अधिनियम की तय समय सीमा के उपरान्त वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया है। अतः भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का अधिनियम की तय समय सीमा मे निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश आज न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:30:23 IST
Reason: SelfAttested